कार्यालय अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक/स्था/राज/23/ 3289 जबलपुर दिनाक 13 /04/2023

// विज्ञप्ति सूचना //

मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श सेवा नियम 2018 के अनुसार स्वशासी समिति नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध अस्पताल हेतु सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी/महिला चिकित्सा अधिकारी एवं आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति राज्य स्तरीय आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए सीधीभर्ती द्वारा किया जाना है। इस हेतु पात्रता धारी योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं ।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथी दिनांक 15/05/2023 सांय 05:30 बजे तक अधिष्ठाता कार्यालय चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर म.प्र. 482003 ।

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताए :- एम.बी.बी.एस

S.NO	NAME OF SUBJECT	RESERVATION ROSTER						वेतन बैण्डग्रेड पे+
		UR	OBC	ST	SC	EWS	TOTAL	
1	GENERAL DUTY MEDICAL OFFICER	3+1 (F)	02	1+1 (F)	02	01	11	15600-39100+ 5400GP
2	LADY MEDICAL OFFICER	00	01 (F)	-	-	-	01	15600-39100+ 5400GP
3	CASUALITY MEDICAL OFFICER	00	00	01	-	-	01	15600-39100+ 5400GP
TOTAL:-		04	03	03	02	01	13	

नोट :-

1. पदों की रिक्तयों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है ।
2. जिस अभ्यर्थी ने पूर्व में आकस्मिक चिकित्सा विभाग में चिकित्सा अधिकारी का कार्य किया है उसे प्राथमिकता दी जावेगी।
3. चयनित चिकित्सा अधिकारियों से आकस्मिक चिकित्सा विभाग एवं पोस्टमार्टम के कार्य के साथ समय-समय पर अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त कार्य (प्रशासकीय/अस्पताल से संबंधित) लिया जा सकेगा ।
4. विज्ञापित पदों के आरक्षण एवं नियुक्ति संबंधी समीचिन नियमों एवं भविष्य में नियुक्तियों के संबंध में अन्यथा लिये गए शासकीय निर्णय के अधीन नियुक्ति/ पदोन्नतिया रहेंगी एवं अभ्यर्थी नियुक्ति निरस्तहोने की दशा में नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकेगें।
5. आवेदन का प्रारूप एवं नियम व शर्तें नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर के वेबसाईट www.nscbmc.ac.in पर उपलब्ध है।

अधिष्ठाता
13/4/23
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
मेडिकल कालेज जबलपर

1. वेतनमान.

सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी :-	15600-39100+5400
महिला चिकित्सा अधिकारी :-	15600-39100+5400
आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी का वेतनमान :-	15600-39100+5400

टीप:- समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय समय पर सवीकृत वेतनमान एवं अन्य भत्ते देय होगें, चयनित चिकित्सा अधिकारियों से आकस्मिक चिकित्सा विभाग एवं पोस्टमार्टम के कार्य के साथ समय-समय पर अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त कार्य (प्रशासकीय/अस्पताल से संबंधित) लिया जा सकेगा ।

2. आयुसीमा - न्यूनतम -25 वर्ष, अधिकतम - 62 वर्ष

टीप:- आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 1 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

3. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

- जाति प्रमाण पत्र :आरक्षण को लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-प्रत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।

4. अर्हतायें :-

- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता ।

5. निरर्हतायें :-

5.1 विकृत चित्त वाला होने पर ।

5.2 दुश्चरित्र होने पर ।

5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो ।

5.4 नियुक्ति के लिये प्रयासकि -अनुशंसा /सी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास अनुशंसा उसके लिये/ अनर्हकारी माना जायेगा ।

5.5 विवाह संबंधी- जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु आयोग्य माना जायेगा कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगे।

5.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर ।

5.7 कदाचरण संबंधी - किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूपपदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

5.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले के लिये दोष सिद्ध हुआ हो।

6. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा, एवं परीक्षण संबंधी उपयुकत्ता का प्रमाण-प्रत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण करने नही दिया जावेगा ।

7. चयनित प्रत्याशी को उसे 65 वर्ष की आयु अथवा नियुक्ति दिनाक से 03 वर्ष जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्‌यालय मे सेवाएं देनी होगी। इस बाबत्‌ सम्यक रूप से रूपये 1000/- बांड (नोटरी द्‌वारा सत्यापित) कार्यभार ग्रहण करने के समय भरना होगा । बिना बांड के कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा । इस शर्त के उल्लघन पर उसे 03 माह के वेतन के बराबर की राशि महाविद्‌यालय को चुकानी होगी। चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षा अनुबंध पर की जायेगी।

8. आवेदक को उसके पद के अनुरूप कर्तब्यो का तथा समय-समय पर सौपे गये प्रशासनिक एवं अन्य दायित्वों का निर्वाहन करना होगा ।

9. आवेदक आवेदन पत्र में वांछित दस्तावेज संलग्न करें । अपूर्ण आवेदन को अमान्य किया जायेगा तथा किसी भी तरह का पत्राचार मान्य नही होगा ।

10. आवेदक पूर्व में जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था के सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा चयनित होने की स्थति में त्याग पत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा

11. आपकी सेवाएं किसी भी समय एक पक्ष द्‌वारा एक माह का नोटिस देकर या सेवा छोड़ने पर एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संस्था में जमा करनी होगी अन्यथा संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी ।

12. चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

13. आपकी वरिष्ठता संस्था की वरिष्ठता क्रमानुसार होगी।

14. आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवाशर्तो के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवाशर्तो में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी ।

15. संलग्न चरित्र प्रपत्र को पूर्णरूप से अभिप्रमाणित करवाकर उपिस्थती दिनांक को संस्था मे जमा करना होगा।

16. राजनैतिक अथवा किसी भी अवैधानिक गतिविधियों मे भाग लेने की अनुमति नहीं होगी ।

17. एक बार संस्था मे नियुक्ति होने के पश्चात आपकी सेवाएं अन्य संस्थाओं को स्थानानंतरित नहीं होगी।

18. चयनित प्रत्यशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य मे पुलिस वेरीफिकेशन/चरित्र सत्यापन के पश्चात प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवाएं समाप्त की जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी ।

19. समस्त प्रवर्गो के आवेदक आवेदन शुल्क प्रत्येक पद हेतु रूपये 1000/- (शब्दों मे रूपये एक हजार मात्र (निम्नानुसार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्‌यालय के खाते में राशि का डिमांड ड्राफ्ट "मुख्य कार्यपालन अधिकारी,एवं अधिष्ठाता स्वाशासी नेता जी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर" के नाम देय हो प्रस्तुत करना होगा । बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यार्थी को अपना पूरा नाम, पता व विषय तथा नम्बर यदि कोई हो तो लिखना आवश्यक होगा । किसी भी अवस्था में राशि लौटायी नही जावेगी । अथवा उपरोक्तानुसार राशि अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्‌यालय जबलपुर के खाते में जमा जमा की जा सकती है। राशि जमा कर रसीद मूलतः आवेदन के साथ संलग्न करें।

Account Details A/c Holder:- CEO/Dean N.S.C.B. Medical College Jabalpur, Bank Name State Bank of India Medical College Branch A/c No. -10080132574. IFSC Code:-SBIN0001445.

20. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में आवेदन पत्र दिनाक 15/05/2023 को सायं 05:30 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। आवेदन पत्र डांक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं । किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

21. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर म.प्र. की वेबसाईट पर वेबसाईट www.nscbmc.ac.in पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण टीप :-यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते है । अत: आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अर्हय नपाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदन की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्ररूप मे दिया गया है । यह शर्त भी उसमे समाहित रहेगी । बिन्दु क्रमांक 05 मे चयन उपरांत 07 कार्यालयीन दिवस मे शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस (स्वशासी समिति)
चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर